



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AC 612365



प्रारूप-26
(नियम 4 क देखिये)

41-इटावा (अ0जा0) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से

41, इटावा (अ0जा0) लोकसभा निर्वाचन लोकसभा (सदन का नाम)

के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं प्रेम दास ~~**पुत्र/मुन्नी/फत्मी~~ रबूदे लाल ..आयु..54...वर्ष, जो ग्राम-बिजौली, पोस्ट-बिजौली,
जिला-इटावा (उ0प्र0)(डाक का पूरा पता लिखें)

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/कस्ती हूँ शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/ कस्ती हूँ :-

(1) मैं समाजवादी पार्टी (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ ~~**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी~~
के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसके काट दें)

प्र. 14

- (2) मेरा नाम. 201, भरथना इटावा (41, इटावा-अ0जा0) उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या. 289. के क्रम संख्या. 573 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 05688-265540 है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)शून्य..... है।
- (4) रथाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :-

क्रम सं०	नाम	पैन नं०	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं	ASGPD 7247Q	2013-14	196950.00
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए



अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत

क


प्रद

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं :-

(क)	मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/ राज्य के पूर्ण ब्यौरे	मु0अ0सं0 70/07, थाना-बकेवर, जिला इटावा
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं), और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	395, 325 आईपीसी, बादी आनंद प्रकाश ने 8 लोगों व अज्ञात 3, 4 लोगों के विरुद्ध 156 (3) सीआरपीसी के अधीन न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया था, जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ। तदोपरांत विवेचना अधिकारी द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया गया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दि० 13.09.07 व 16.03.2009 प्रकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने के आदेश दिये, जो वर्तमान में भी प्रभावी है।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	विशेष सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र इटावा), मु0अ0सं0 70/07 थाना-बकेवर, इटावा, 21.07.2007
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	—शून्य—
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	—शून्य—
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं	हां, 482 सीआरपीसी के अधीन तलबी आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका पर मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दि० 13.09.2007 व 16.03.2009 को न्यायालय की कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दिये, जो वर्तमान में भी आदेश प्रभावी है।

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/ हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :- (ऐसे सभी विचाराधीन मामलों का उल्लेख करें जिसका न्यायालय ने संज्ञान लिया है दण्ड की मात्रा व विरचित आरोपों से असंबद्ध होकर उल्लेख करना चाहिए)

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	—शून्य—
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	—शून्य—
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए अपील की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	—शून्य—



यदि किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष उठराया गया है/ नहीं उठराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है :
यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष उठराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	—शून्य—
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	—शून्य—
(ग)	अधिरोपित दंड	—शून्य—
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	—शून्य—

(7) मैं, मेरे/मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है :-

टिप्पणी 2. जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, राशि, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम तथा शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।


टिप्पणी 3. सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4. यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पणी 5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	1,00,000.00	40,000.00	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा से रकम	1. इलाहाबाद बैंक इटावा खाता सं० 20487235042 रु० 52797.00 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इटावा खाता सं०-151980201002122 रु० 18625.00 3. इलाहाबाद बैंक शाखा सि०ला०इ० खाता सं०-21528185939 रु० 14467.00 4. एसबीआई लोकसमा दिल्ली खाता सं०-30781655477 रु० 679386.64 5. एसबीआई मण्डी इटावा खाता सं०-33761861482 रु० 1000.00	1. इलाहाबाद बैंक इटावा खाता सं०-21528190959 रु०-8537.00	शून्य	शून्य	शून्य

(iii)	कंपनियों/म्यूचुअल फण्ड और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा भरथना जिला इटावा पॉलिसी नं०-262561615 धनराशि-एक लाख	एलआईसी इटावा पॉलिसी नं०-263066276 धनराशि-एक लाख रूपया	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—
(vi)	मोटरयान/वायुयान/ याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	इनोवा कार यू.पी. 75 क्यू-3747 मॉडल-2011 रूपया-10 लाख	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	4 अंगुठी सोने की, एक चैन सोने की वजन 5 तोला कीमत 150000.00	2 नेकलेस वजन 14 तोला सोना, 1 मंगलसूत्र 2 तोला, 2 चैन 3 तोला, 6 अंगुठी सोने की 2 तोला, 1 बैदा आधा तोला सोना, कीमत करीब 7 लाख पचास हजार रूपया चांदी के जेवर एक किलो कीमत करीब 50 हजार रूपया	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—
(viii)	कोई अन्य अस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	एक पिस्टल लाइसेंस नं० 1149 कीमत पचास हजार एस.बी. बी.एल. गन 12बोर ल० नं० 347 कीमत आठ हजार रूपया	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—
	सकल कुल मूल्य	2074275.00	846537.00	—शून्य—	—शून्य—	—शून्य—




ब. स्थावार आस्तियों के ब्यौरे :-

टिप्पणी 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	1. भूमि नं०-325 रकवा 1.52 एकड़ मौजा-बिजौली 2. भूमि नं०-230 रकवा 0.22 एकड़, 586-1.02 एकड़ का 1/2 भाग 3. ख०नं० 222, 235 रकवा-0.75है० 4. ख०नं०-233, रकवा-4 बीघा मौजा अकबरपुर	1. भूमिसं०-363 रकवा 0.74 एकड़ मौजा-बिजौली 2. भूमि सं० 228 रकवा 0.003 एकड़, 229-0.80 एकड़, 231-0.002 एकड़ 3. 330क-0.219 है० 74ग 0.134 232ख 0.062 है० 243क 0 023 मौजा कुनैश 4. 246छ रकवा 0.1788 है० मौजा पचावली 4. भूमि नं०-881 रकवा 0.243 मौजा बिजौली 5. भूमि सं०-183 रकवा 0.158है०, 6. भूमि सं० 186 रकवा 0.202 है० 7. भूमि नं० 15 मि० रकवा 0.158 है० 186मि० रकवा 0.162है० रकवा 189मि० रकवा 0.405है०	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लगभग 3.31 एकड़	लगभग 5.03 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	हां एक मकान पेत्रिक ग्राम बिजौली कीमत 10 लाख, रुपया	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1. 03.05.1990 2. 28.05.2003 3. 25.02.2008 4. 31.03.2007	1. 09.09.2002 2. 15.05.2007 3. 28.02.2002 4. 23.01.2001 5. 07.01.2013 6. 21.09.2013 7. 21.09.2013	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	1. ₹०-20,000.00 2. ₹०-180404.00 3. ₹०-40000.00 4. ₹०-50000.00	1. ₹०-60008.00 2. ₹०-255000.00 3. ₹०-388800.00 4. ₹०-74000.00 5. ₹०-608000.00 6. ₹०-396000.00 7. ₹०-646000.00	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	250000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1. 100000.00 2. 210000.00 3. 800000.00 4. 130000.00	1. ₹०-120000.00 2. ₹०-500000.00 3. ₹०-600000.00 4. ₹०-100000.00 5. ₹०-1100000.00 6. ₹०-700000.00 7. ₹०-646000.00	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर-कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	1. फ्रेण्ड्स को०इटावा में भूखण्ड सं० 16 2. फ्रेण्ड्स को०इटावा में भूखण्ड सं० 29ए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	1. 20X40 2. 30X40	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1. 15.07.2005 2. 26.03.2004	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	1. ₹०-120000.00 2. ₹०-226660.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1. बाउंड्री व बरानदा 2. बाउंड्री	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1. 300000.00 2. 600000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हॉ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	1. आ0वि0परि0लखनऊ में मकान आवंटित -वृंदावन योजना 3/4 के अंतर्गत 2. अंशलप्रो0 लखनऊ में प्लेट बुक माध्यम किश्त राशि	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)		1. 2000वर्गफीट 2. 1200 वर्गफीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		ज्ञात नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हॉ या नहीं)		नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख		1. 23.03.2013 2. 19.09.2012	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)		1. किश्त राशि 5900000.00 पूर्ण अदायगी पर राशि 3300000.00 2. किश्त राशि 2400000.00 छमाही कुल जमा राशि वर्तमान में 1473646.00 रूपया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
अनुमानित चालू बाजार मूल्य		ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
(v)		अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i)से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकास या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/ मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/ सम्पत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	मिक्रो कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-

(क) स्वयं..... कृषि.....

(ख) पति या पत्नी..... गृह कार्य.....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

1. जनता डिग्री कालेज बकेवर, इटावा (उ0प्र0) से स्नातक वर्ष 1988 कानपुर विश्वविद्यालय।

(प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(ii) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण :-

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / श्री प्रेम दास
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम व पोस्ट-बिजौली, जिला-इटावा (उ0प्र0)
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	41, इटावा (अ0जा0) लोकसभा क्षेत्र, उ0प्र0
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतन्त्र' लिखें)	समाजवादी पार्टी
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	शून्य
	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष दर्शाया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य

	का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
(क) अभ्यर्थी	ASGPD 7247Q	2013-14	196950.00
(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में) :-						
क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	2074275.64	846537.00	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां	4060710.00	2427808.00			
(i)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	3060710.00	2427808.00	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	दो मूखण्डों की बाउंड्री 250000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	3740710.00	3766000.00	शून्य	शून्य	शून्य
	क- स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	3060710.00	2427808.00	शून्य	शून्य	शून्य
	ख- विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	1000000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9. दायित्व :-

(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10. ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं :-

(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

(प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

वर्ष-1983	मा०शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष-1985	मा०शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष-1988	कानपुर विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आसित या दायित्व से भिन्न कोई आसित या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 02-04-2014 को इटावा (स्थान) पर सत्यापित किया।

अभिसाक्षी

श्री ११६

टिप्पणी 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी 3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4. शपथपत्र टंकित या सपाट्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणी 5. अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथपत्र दाखिल करने के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) वर्ष 2008 की संख्या 121-रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिये गये दिनांक 13-09-2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथपत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथपत्र के सभी कॉलम भरे हुये हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिये एक अनुस्मारक देंगे। मा0 न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिये कोई सूचना नहीं है तो ऐसे मामलों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य या 'लागू नहीं होता या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शायी जायेगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किये जाने के लिये उत्तरदायी होंगे।

टिप्पणी 6. शपथपत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए:-

"मेरा टेलीफोन नं० 05688-255544 है/हैं,

मेरा ई-मेल आईडी0 (यदि कोई हो) शून्य है।

अमेरिस कोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) शून्य है।"

श्री प्रमदास

पिपली पहचान श्री

एडवोकेट/ क्लर्क इटावा के कि जिसका आज मेरे समक्ष प्रस्तुत किया तथा शपथ पत्र के पूर्ण अमिलेख को पढ़कर अनुवाद को सुनकर व सन्तुष्ट कर शपथ पत्र स्वीकार किया दिनांक 2-4-14 स्थान इटावा कीरः श्री ११६

प्राप्त की

श्री ११६
अशोक कुमार पालीवाल (एडवोकेट)
नोटेरी-इटावा